राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 4(22)ग्रावि/नरेगा/आधार/2010 जयपुर, दिनांक : 10 APR 2015

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त।

विषयः– **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत आधार आधारित भुगतान करने के संबंध में।**
संदर्भः– **विभागीय समसंख्यक पत्रांक दिनांक 04.03.2015**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत दिनांक 01.04. 2015 से श्रमिक नियोजन हेतु आधार नम्बर की अनिवार्यता के संबन्ध में अवगत कराया गया है। कुछ जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा प्रदेश में हुई भीषण ओला वृष्टि के परिपेक्ष्य में **बिना आधार नम्बर के श्रमिक नियोजन किये जाने हेतु छूट** चाही गई है।

इस संबन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि **राज्य में ओलावृष्टि के परिपेक्ष्य में पीड़ित लोगों को समय पर रोजगार उपलब्ध कराए** जाने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए **कुछ समय के लिए आधार नम्बर की अनिवार्यता नही रखे जाने का निर्णय** किया है। अतः **जिन जॉब कार्डधारी श्रमिकों के पास UID/EID नम्बर उपलब्ध नहीं** है, उन्हे **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत रोजगार से वंचित नहीं किया जावे** एवं मांग के आधार पर तुरन्त रोजगार उपलब्ध कराया जावे।

इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि **श्रमिकों के आधार पंजीकरण नही होने** की स्थिति में कार्यक्रम अधिकारी पंचायत समिति द्वारा यह **undertaking** देनी होगी कि **ऐसे श्रमिकों का एक माह में आधार पंजीकरण आवश्यक रूप** से करा दिया जायेगा। इसके लिए कार्यक्रम अधिकारी **आधार नम्बर रहित रोजगार उपलब्ध कराए गए श्रमिकों की सूची तैयार कर आधार हेतु निकटतम केन्द्र पर पंजीकरण कराने की कार्यवाही** हर हालत में **सुनिश्चित** कराएगें एवं **श्रमिक के ईआईडी नम्बर की एन्ट्री नरेगा सॉफ्ट** में भी कराया जाना सुनिश्चित करेगें। जिला कलेक्टर स्वयं इसकी पाक्षिक मॉनिटरिंग करेगें। **सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा सभी ई–मित्र/कियोस्क पर आधार हेतु पंजीकरण सुविधा** उपलब्ध कराई गई है।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही सम्पादित कराये जाने का श्रम करावें तथा **यह सुनिश्चित करावें कि UID/EID नम्बर नहीं होने की स्थिति में किसी श्रमिक को उसके रोजगार के हक से वंचित नहीं किया जावे** तथा साथ ही एक माह के भीतर ऐसे श्रमिकों का आधार हेतु पंजीकरण कराया जाना भी आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगें।

भवदीय

9/4/15

(रोहित कुमार)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपिः

1. संयुक्त सचिव (महात्मा गांधी नरेगा) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को उनसे दूरभाष पर हुई चर्चा के संबन्ध में अनुमोदन हेतु एवं एम.आई.एस. में आवश्यक संशोधन हेतु प्रेषित है।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस, तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
3. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस, जयपुर/बाड़मेर।
4. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी महात्मा गांधी नरेगा, पंचायत समिति समस्त।
5. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त द्वितीय, ईजीएस